न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 217 / 2025 (GCMS : 2025/334)

शिव कुमार पुत्र श्री कुरडाराम जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्रीमान् सुभाष चौधरी, उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर**
2. **अंकित कुमार** पुत्र श्री शिव कुमार जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. **माया देवी** पुत्री श्री कुरडाराम पत्नी श्री बंशीलाल जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर **हाल आबाद** बड़ौपल तहसील व जिला फतेहबाद (हरियाणा)
4. **जगदीश** पुत्र ओम प्रकाश जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. **महावीर** पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
6. **अमन कुमार** पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
7. **बुधराम** पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
8. **कलावती** पत्नी श्री गौरीशंकर जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
9. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व)**, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जसकरण सिंह औलख उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद आवेदक संख्या 2 व 3 ने अवानी अंकित कुमार वगै. बनाम शिव कुमार वगै., वाद संख्या 258 / 2021 अन्तर्गत धारा 88, 92(ए), 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही धारा 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र अनवानी माया देवी बनाम शिव कुमार प्रकरण संख्या 20 / 2024 प्रस्तुत किया हुआ है।

उक्त विवादित प्रकरणों से सम्बन्धित भूमि में नहरी / बारानी भूमि में खडी व पडी फसल, ईंटों पर तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को रिसिवर नियुक्त किया गया है तथा तहसीलदार, राजस्व रायसिंहनगर को उक्त भूमि को कब्जा में लेकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में रिसिवर नियुक्त की कार्यवाही के साथ–साथ कृषि भूमि में पडी ईंटों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया वह गलत, बेबुनियाद व भेदभाव पूर्ण है, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण के वादीगण के रूपष्ट रूप से प्रभाव में है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 गांव में ऐलानियां कर रहे है कि पीठासीन अधिकारी से हमारी बात हो गयी है, इसलिए पीठासीन अधिकारी उक्त वाद में फैसला वादीगण के पक्ष में करेगें, इससे प्रार्थी को विश्वास हो गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के साथ इंसाफ नहीं करेगें। ऐसे सूरत में प्रार्थी का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित करने की प्रार्थना की है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 29.04.2026 का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद अवानी अंकित कुमार वगै. बनाम शिव कुमार वगै., वाद संख्या 258/2021 अन्तर्गत धारा 88, 92(ए), 209 आर.टी.ए. एवं धारा 212 आर. टी.ए. का प्रार्थना पत्र अनवानी माया देवी बनाम शिव कुमार प्रकरण संख्या 20/2024 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,92ए, 209 आर.टी.ए. एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को वादीगण प्रभाव के कारण, अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति के है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष राजमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता बल्कि रिकॉर्ड पर ऐसे तथ्य होने चाहिए जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में पक्षपात का संदेह पैदा करता हो।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार प्रमाणिक साक्ष्य या ठोस आधार के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्धान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत शीघ्र निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को भिजवाई जाये। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर